

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट- /2018/

दिनांक:

--आदेश--

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ. 14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड/चयनित वेतनमान	देय पे ग्रेड
1.	श्री महेश चन्द बंसल नर्स प्रथम	भरतपुर	30.08.90	30.08.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
2.	श्री विजय कुमार नर्स प्रथम	अलवर	13.09.89	13.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
3.	श्री समरथ लाल जीनगर नर्स प्रथम	भीलवाडा	22.10.98	22.10.16 18 वर्ष	9300-34800	5400
4.	श्री ताराचन्द चौहान नर्स प्रथम	जोधपुर	19.01.85	19.01.12 27 वर्ष	9300-34800	4800
5.	श्री नन्द किशोर नर्स प्रथम	भरतपुर	01.08.90	01.08.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
6.	श्री लोकेश कुमार सिंघल नर्स प्रथम	भरतपुर	18.07.90	18.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
7.	श्री छैलबिहारी ढोडरिया नर्स प्रथम	बारां	16.10.89	16.10.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	श्री सुरेश चन्द शर्मा नर्स प्रथम	दौसा	12.07.90	12.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	श्री मेघ सिंह नर्स प्रथम	धौलपुर	27.06.89	27.06.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
10.	श्री लक्ष्मण सिंह नर्सिंग ट्यूटर	अजमेर	30.07.90	30.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
11.	श्रीमती संगीता वाल्टर नर्स प्रथम	अजमेर	07.09.90	07.09.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
12.	भवंर लाल पुत्र मोहनलाल, नर्स प्रथम	सीकर	31.07.90	31.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
13.	भवंर लाल शर्मा, नर्स प्रथम	सीकर	25.07.90	25.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
14.	भागा राम मेघवंशी, नर्स प्रथम	जैसुलमेर	16.11.98	16.11.16 18 वर्ष	9300-34800	5400
15.	श्री नन्द किशोर पुरोहित, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
16.	श्रीमती शान्ति के. जेकब, नर्स प्रथम	बांसवाड़ा	27.05.89	27.05.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
17.	श्री नवरत्न सिंह कैरो, नर्स प्रथम	कोटा	01.05.99	01.05.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
18.	श्री परमेश्वर स्वरूप गुप्ता, नर्स प्रथम	झालावाड़	21.07.90	21.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
19.	श्री मनोज कुमार जोशी, नर्स प्रथम	बाड़मेर	19.07.90	19.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
20.	श्री दीपाराम चौधरी, नर्स प्रथम	बाड़मेर	19.07.90	19.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
21.	श्री लक्ष्मीकान्त गर्ग, नर्स प्रथम	जयपुर द्वितीय	22.10.90	22.10.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
22.	श्री राजेश शर्मा, नर्स प्रथम	अलवर	18.07.90	18.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
23.	श्री उमा शंकर शर्मा, नर्स प्रथम	अलवर	26.07.90	26.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
24.	श्री रमेश चन्द गुप्ता, नर्स प्रथम	अलवर	26.07.90	26.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000

25.	श्री पंकज कुमार सिंघल, नर्स प्रथम	बीकानेर	09.07.90	09.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
26.	श्री विजय कुमार गुप्ता, नर्स प्रथम	दौसा	18.07.90	18.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
27.	श्री गोपाल लाल बैरवा, नर्स प्रथम	दौसा	27.07.90	27.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
28.	श्री दिनेश कुमार गुप्ता, नर्स प्रथम	दौसा	03.08.90	03.08.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
29.	श्री नरेन्द्र सिंह, नर्स प्रथम	जालोर	16.07.90	16.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
30.	श्री अभयसिंह, नर्स प्रथम	जालोर	20.07.90	20.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
31.	श्री अमर सिंह राठौड़, नर्स प्रथम	जालोर	16.09.89	16.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
32.	श्री राऊराम, नर्स प्रथम	जालोर	18.06.90	18.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
33.	श्री रतन लाल सेन, नर्स प्रथम	जालोर	12.07.90	12.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
34.	श्री दाऊराम चौधरी, नर्स प्रथम	जालोर	15.07.88	15.07.15 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 25/01/18

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट- /2018/69

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
2. संबंधित समस्त प्रधानाचार्य।
3. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी., मुख्यालय।
4. संबंधित समस्त अधीक्षक।
5. संबंधित समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. संबंधित समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7. संबंधित समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर